



क्षेत्रीय कार्यालय
30 प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

फोन : 2529157

ब्लाक ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा, जनपद-गौतमबुद्ध नगर

संदर्भ संख्या

692/01 5-202/16

पंजीकृत 3-6-11

सेवा में

मै० आई केयर आई हास्पिटल एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट,
ई-3ए, सेक्टर-26,
नोएडा

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

03-12-2015

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया आप अपने पत्र दिनांक..... का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और सहमत सहमति आदेश संख्या..... सहमति (वायु) आदेश/ 5.12.14/16 दिनांक 3-6-11 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 1,5,6,7,8,11,12,13,14,15..... जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जा रहा है।

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. के 0 वी० ए० क्षमता के डी जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊंचाई भूतल/ भवन छत से मी० ऊंचाई किया जाय।
3. फलू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणवत्ता को अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति केमाह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे..... का प्राविधान, संचालन एवं रखवाव इस प्रकार किया जाए, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहें।
7. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य हैं।
9. आपको उद्योग की आडिट की हुई नवीतम वैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति+वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियां) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।

AIR

(1)



क्षेत्रीय कार्यालय

फोन : 2529157

30 प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ब्लाक ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा, जनपद-गौतमबुद्ध नगर

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या 9112/14/11 /सहमति/वायु आदेश/ 5202 नोएडा, दिनांक 3-6-15

विषय : सहमति मै० आई केयर आई हास्पिटल एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट, ई-3ए, सेक्टर-26, नोएडा

वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा - 21/22 के अन्तर्गत

संदर्भ : आवेदन संख्या शून्य दिनांक 03-12-2015

1. वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै० उपरोक्त को अपने संबंधों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 03-12-2015 से 31-12-2017 अवधि तक विधि मान्य है

3. इस सहमति आदेश में अंकित सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

4.

अनुलग्नक : संलग्नक

क्षेत्रीय अधिकारी

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों का कार्यरत स्थिति में ईकाई में रखा जाये।
7. ईकाई परिक्षेप में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाए।
8. सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैफ से हो रहे उत्सर्जन किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित/सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
- (ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी उपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होना है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों की संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, को सुचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाये।
12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. ईकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य आउट लैट से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किया जाने में सम्बन्ध समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाए।

A 12

(4)

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदन कर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्त अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि होने एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डायरेक्टर्स, पार्टनर्स प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुन विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

क्षेत्रीय अधिकारी

AIR

(2).



क्षेत्रीय कार्यालय

30 प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

नोएडा

संलग्नक सहमति आदेश संख्या.....(सहमति) (वायु) आदेश/.....

दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. फलू गैस की प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सम्बद्ध चिमनी

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| (i) डी०जी०सैट 50 के०वी०ए० | छततल से 4.0 मी० ऊँची |
| (ii) डी०जी०सैट 200 के०वी०ए० | छततल से 4.0 मी० ऊँची |
| (iii) डी०जी०सैट 400 के०वी०ए० | छततल से 4.0 मी० ऊँची |
| (iv) | |
| (v) | |

2. वायु मंडल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो :-

मानक संलग्न

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (i) सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर
(एस.पी.एम.) | मिलोग्राम प्रतिनार्मल
क्यूबिक मीटर |
| (ii) मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि) | |
| (iii) हाइड्रोजन, सल्फर डाई आक्साइट
सल्फेट मिन्ट | - |
| (iv) सल्फर डाई आक्साइट | - |
| (v) कार्बन मोनोआक्साइट | - |
| (vi) हाइड्रोकार्बन | - |
| (vii) अमोनिया | - |
| (viii) फ्लोरिन | - |
| (ix) मरकैप्टेन | - |
| (x) | - |

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालको की मात्रा भी मानको के अनुरूप है।

10. ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
11. आपको उपकर अधिनियम 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
12. उद्योग का प्रत्येक वर्ष का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समयावधि 30 सितम्बर से पूर्व प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
13. रूक टाप रेन वाटर आर्वेस्टिंग एवं पीजोमीटर की स्थापना की जायें।
14. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायें।
15. ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण हेतु डी0जी0 सेट पर एक्वास्टिव इन्क्लोजन स्थापित किया जाये।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अर्न्तगत उपरोक्त वर्णित किसी भी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(डा0 बी0बी0 अवस्थी)

क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ संख्या...../वायु प्रदूषण.....तद् दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त एक) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, तृतीय तल,
बी ब्लॉक, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी